[2014] एस.सी.आर 1101

शबनम हाशमी

बनाम

भारत सघं एवं अन्य

रिट याचिका (दिवानी) क्रमांक-470/2005

19 फरवरी 2014

(मु.न्या.भा. पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिहं)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000: धारा 41 से 44, 68 - अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की गई - मौलिक अधिकार के रूप में गोद लेने के बारे में कानून बनाने और धर्म, जाति के बावजूद बच्चों को गोद लेने के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई और यूओ को इस विषय पर वैकल्पिक कानून बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई - निर्णय: याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि जेजे अधिनियम 2000 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो धर्म के बावजूद गोद लेने को सक्षम बनाता है और याचिका के साथ की गई प्रार्थनाओं को पूरा करता है - मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि इस्लामी कानून यह नहीं मानता है कि गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के बराबर है; यह कफ़ाला प्रणाली की अनुमति देता है जिसके तहत गोद लिया गया बच्चा। जैविक माता-पिता के वंशज बने रहते हैं और बाल कल्याण समिति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए - 2000 का अधिनियम व्यक्तिगत अधिकार चुनने की अनुमति देता है और यह एक वैकल्पिक कानून है और अनुच्छेद 44 की पूर्ति की दिशा में एक छोटा कदम है - परस्पर विरोधी आस्थाओं और प्रचलित मान्यताओं को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता बनने तक विकल्प खुला रहेगा - गोद लेने को मौलिक अधिकार घोषित करने का प्रश्न अभी परिपक्व नहीं हुआ है और विभिन्न समूहों के परिपक्व होने तक इसके विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए - तब तक संयम बनाए रखा जाना चाहिए - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - नियम 33(2) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 44.

तत्काल रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी। रिट याचिका में प्रार्थना की गई थी कि गोद लेने को मौलिक अधिकार के रूप में कानून बनाया जाए और इसके विकल्प के रूप में बच्चों को गोद लेने के बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं, भले ही वे किसी भी कारण से गोद लिए गए हों। धर्म, जाति के आधार पर याचिका दायर की गई है और प्रतिवादी यूओआई को इस विषय पर वैकल्पिक कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1. रिट याचिका में की गई वैकल्पिक प्रार्थना को 'लक्ष्मी कांत पांडे मामले में न्यायिक निर्णय और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के रूप में पूरक, यदि परिणामी नहीं, विधायी नवाचारों द्वारा काफी हद तक फलित किया गया था, जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया था और साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम भी वर्ष 2007 में प्रख्यापित किए गए थे। अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए, बच्चे के हितों की रक्षा और आगे बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए थे। नियामक निकाय, यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी ('CARA') के निर्माण की सिफारिश की गई थी और तदनुसार वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तब से, उक्त निकाय अंतर-देशीय और साथ ही देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों तरह के मानदंड निर्धारित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उक्त मानदंडों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 33 (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है और आज ये पूरे देश में लागू हैं, साथ ही कई राज्यों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 68 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत इन्हें अपनाया और अधिसूचित किया गया है। [पैरा 2, 3] [1108-एफ-एच; 1109-ए-डी]

*लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (1984) 2 एससीसी 244: **1984 (2) एससीआर 795** - पर भरोसा किया गया।

2. आज की तारीख में लागू जेजे अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के विपरीत, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 केवल "उपेक्षित" और "अपराधी किशोरों" से संबंधित था। 1986 के अधिनियम के प्रावधान अपराधी किशोरों और 'उपेक्षित' के लिए परिकल्पित सभी चीजों से संबंधित थे।

किशोर' का अर्थ किशोर गृह में अभिरक्षा या ऐसे किशोर को माता-पिता, अभिभावक या अन्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का आदेश था जो किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण अवधि के दौरान उसके अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए तैयार था। जेजे अधिनियम, 2000 ने देखभाल और

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए 'पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण' शीर्षक के तहत एक अलग अध्याय यानी अध्याय IV पेश किया। इस तरह के पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण को गोद लेने या पालक देखभाल या प्रायोजन या बच्चे को बाद की देखभाल करने वाले संगठन में भेजने के द्वारा वैकल्पिक रूप से किया जाना था। धारा 41 गोद लेने पर विचार करती है, हालांकि यह स्पष्ट करती है कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके तत्काल परिवार की है। जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 42, 43 और 44 पुनर्वास के वैकल्पिक तरीकों जैसे पालन-पोषण देखभाल, प्रायोजन और किसी पश्चातवर्ती देखभाल संगठन द्वारा देखभाल से संबंधित हैं। जेजे अधिनियम, 2000 में हालांकि 'दत्तक ग्रहण' की परिभाषा नहीं दी गई थी और 2006 के संशोधन द्वारा ही इसका अर्थ व्यक्त किया गया। वास्तव में, जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 41 में 2006 में काफी संशोधन किया गया था और पहली बार गोद देने की जिम्मेदारी न्यायालय पर डाली गई थी, जिसे जेजे नियम, 2007 द्वारा परिभाषित किया गया था कि इसका अर्थ जिला न्यायाधीश की अदालत, पारिवारिक अदालतों और शहर के सिविल न्यायालय सहित गोद लेने और संरक्षकता के मामलों में अधिकार क्षेत्र रखने वाला सिविल न्यायालय है। [नियम 33 (5)] जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 41 की अन्य उपधाराओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। एक संस्था के रूप में CARA को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों को भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। [धारा 41(3)] [पैरा 4 से 6] [1109-ई-एच; 1110-ए-ई]

3. जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 68 द्वारा निहित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जेजे नियम, 2007 अधिनियमित किए गए हैं। उक्त नियमों का अध्याय V पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण से संबंधित है। नियम 33(2) के अंतर्गत CARA द्वारा जारी दिशा-निर्देश, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 41 (3) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को गोद लेने से संबंधित सभी मामलों पर लागू किया गया है। जेजे नियम, 2007 के अनुसार और जेजे अधिनियम, 2000 द्वारा निहित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकांश राज्यों ने इसका अनुसरण किया है और सीएआरए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अपनाया है, जिससे संबंधित राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर गोद लेने के मामले में इसे लागू किया जा सके। जेजे नियम, 2007 के नियम 33(3) और 33(4) में गोद लेने से पहले की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विस्तृत प्रावधान हैं, यानी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना। नियम ऐसे बच्चों की पालन-पोषण देखभाल (गोद लेने से पहले की पालन-पोषण देखभाल सहित) का भी प्रावधान करते हैं जिन्हें गोद नहीं दिया जा सकता है और पालन-पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन, प्रायोजन और

किसी देखभाल संगठन द्वारा देखभाल के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। नियमों में जो कुछ भी प्रावधान नहीं है, उसे CARA के 2011 के दिशा-निर्देशों द्वारा पूरक बनाया गया है, जो अतिरिक्त रूप से गोद लेने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई और गोद लेने के आंकड़ों के रखरखाव के लिए उपाय प्रदान करते हैं। [पैरा 7) [1110-एफ-एच; 1111-ए-सी]

4. घटनाक्रम के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में स्वीकार किया है कि जेजे अधिनियम, 2000 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो, बच्चे को गोद लेने में सक्षम बनाता है। यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के समान है, जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उस अधिनियम के तहत विवाह करने में सक्षम बनाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। गोद लेने के संबंध में जेजेए 2000 एक सक्षम वैकल्पिक लिंग-न्यायसंगत कानून है, यह प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर लिखित दलीलों में यह भी कहा गया है कि जेजे अधिनियम, 2000 और संशोधन अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के मद्देनजर, धर्म, जाति, पंथ आदि के बावजूद व्यक्तियों द्वारा बच्चों को गोद लेने में सक्षम बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं का संतोषजनक उत्तर दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाना चाहिए। जेजे अधिनियम, 2000 के तहत 4. घटनाक्रम के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में स्वीकार किया है कि जेजे अधिनियम, 2000 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो, बच्चे को गोद लेने में सक्षम बनाता है। यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के समान है, जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उस अधिनियम के तहत विवाह करने में सक्षम बनाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। गोद लेने के संबंध में जेजेए 2000 एक सक्षम वैकल्पिक लिंग-न्यायसंगत कानून है, यह प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर लिखित दलीलों में यह भी कहा गया है कि जेजे अधिनियम, 2000 और संशोधन अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के मद्देनजर, धर्म, जाति, पंथ आदि के बावजूद व्यक्तियों द्वारा बच्चों को गोद लेने में सक्षम बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं का संतोषजनक उत्तर दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाना चाहिए।धारा 41 के प्रावधानों को लागू करने और अधिसूचित CARA दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है। [पैरा 8, 9] [1112-बी-डी]

5. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, ने एक विस्तृत लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि जेजे अधिनियम, 2000 के तहत गोद लेना देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की देखभाल के लिए केवल एक तरीका है और धारा 41 स्पष्ट रूप से पालक देखभाल, प्रायोजन और देखभाल के बाद के संगठनों द्वारा देखभाल को परित्यक्त/आत्मसमर्पित बच्चे की देखभाल के अन्य/वैकल्पिक तरीकों के रूप में मान्यता देती है। यह तर्क दिया गया है कि इस्लामी कानून एक गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के बराबर नहीं मानता है। बोर्ड के अनुसार, इस्लामी कानून "कफला" प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत बच्चे को एक 'कफिल' के अधीन रखा जाता है जो वित्तीय सहायता सहित बच्चे की भलाई के लिए प्रावधान करता है और इस प्रकार कानूनी रूप से बच्चे की देखभाल करने की अनुमति है, हालांकि बच्चा अपने जैविक माता-पिता का सच्चा वंशज है, न कि "दत्तक" माता-पिता का। बोर्ड का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन द्वारा अनुच्छेद 20(3) के तहत मान्यता प्राप्त "कफाला" प्रणाली जेजे अधिनियम, 2000 द्वारा परिकल्पित बाल देखभाल की वैकल्पिक प्रणालियों में से एक है और इसलिए सभी बाल कल्याण समितियों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वे जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 41(5) के तहत मुस्लिम बच्चे को गोद लेने के लिए उपलब्ध घोषित करने से पहले इस्लामी कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखें और उनका पालन करें। [पैरा 1 ओजे [1112-ई-एच; 1113-ए-बी]

6. संशोधित जेजे अधिनियम, 2000 एक सक्षम जी

विधान है जो भावी माता-पिता को अधिनियम, नियमों और सीएआरए दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके योग्य बच्चे को गोद लेने का विकल्प देता है, जैसा कि अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। अधिनियम किसी भी भावी माता-पिता द्वारा बच्चे को छोड़ने के लिए कोई बाध्यकारी कार्रवाई अनिवार्य नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को यदि वह चाहे तो अधिनियम के प्रावधानों तक पहुँच की स्वतंत्रता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐसा करने या न करने के लिए स्वतंत्र है और इसके बजाय, वह उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के निर्देशों का पालन कर सकता है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में एक छोटा कदम है। व्यक्तिगत विश्वासों और आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वे किसी सक्षम क़ानून के प्रावधानों के संचालन को निर्धारित नहीं कर सकते। एक वैकल्पिक कानून जिसमें कोई अपरिहार्य अनिवार्यता नहीं है, व्यक्तिगत कानून के सिद्धांतों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, जो कि हमेशा किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करना जारी रखेगा जो खुद को तब तक प्रस्तुत करना चाहता है जब तक कि एक समान नागरिक संहिता की दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसा केवल आने वाली पीढ़ी के सामूहिक निर्णय से ही हो

सकता है कि वे परस्पर विरोधी आस्थाओं और विश्वासों को समाप्त कर दें जो आज भी सक्रिय हैं। [पैरा 11] [1113-सी-जी]

7. यद्यपि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई गंभीर या पर्याप्त बहस नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने अपने तर्क के समर्थन में पवित्र ग्रंथों सहित प्रचुर साहित्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। संविधान के भाग 111 में निहित मौलिक अधिकार मूल मानव अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित हैं और ऐसे अन्य अधिकार जो नागरिकों की गरिमा और कल्याण के लिए मौलिक हैं। हालांकि यह सही है कि मौलिक अधिकारों के अर्थ और सामग्री के आयाम और परिप्रेक्ष्य निरंतर विकास की प्रक्रिया में हैं जैसा कि एक जीवंत लोकतंत्र में होना तय है जहां मन हमेशा स्वतंत्र होता है, अपनाने या अपनाए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिए देश में प्रचलित प्रथाओं और विश्वास के इस क्षेत्र में परस्पर विरोधी विचार प्रक्रियाओं के समाप्त होने का इंतजार करना होगा। विधायिका जो इस मुद्दे पर एकजुट होकर सोचने के लिए पूरे नागरिकों की मानसिक तैयारी को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है, ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर सोचने के लिए पूरे नागरिकों की मानसिक तैयारी को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। जेजे एक्ट 2000 के अधिनियमन द्वारा वर्तमान में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है और इसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस विषय पर आज की तारीख में विभिन्न समुदायों के बीच प्रचलित परस्पर विरोधी दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता द्वारा परिकल्पित दृष्टिकोण को एक ऐसा लक्ष्य बनाते हैं जिसे अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका है और न्यायालय को संयम बनाए रखने की आवश्यकता के संबंध में पहले व्यक्त की गई चिंता की याद दिलाई जाती है। वर्तमान समय और चरण उपयुक्त नहीं है जहां गोद लेने के अधिकार और गोद लिए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जा सके और/या ऐसे अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समझा जा सके। [पैरा 13) [1114-सी-जी; 1115-ए]

पुनः: मैनुअल थिओडोर डिसूजा **(2000) 3 बॉमसीआर 244:** फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन बनाम वाई.जे.गोंसाल्विस और अन्य। **एआईआर 1999 केरल 187 - संदर्भित।**

केस लॉ संदर्भ:

1984 (2) एससीआर 795	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 2**
(2000) 3 बोर्न सीआर 244	**संदर्भित**	**पैरा 12**
एआईआर 1999 केरल 187	**संदर्भित**	**पैरा 12**

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 470/2005।

आर.के. खन्ना एएसजी, कॉलिन गोंस्लेव्स, जे.एस. अत्री, राजू रामा चंद्रन, वाई.एच. मुछाला, हुज़ेफ़ा अहमदी, ए. मारियापुथम, सौरव अजय गुप्ता, सूर्यनारायण सिंह, मंजीत सिंह, एएजी, वर्णिका सिंह, ज्योति मेंदीरत्ता, सुनीता शर्मा, सीमा राव, अनिरुद्ध तंवर, वी.एन. सुब्रमण्यम, ए.के. कौल, डी.एस. माहरा, सुषमा सूरी, बी. कृष्णा प्रसाद, एज़ाज़ मकबूल, तनीमा किशोर, मृगांक प्रभाकर, के. एनाटोली सेरना, अमित कुमार सिंह, जे.एस. छाबड़ा, प्रगति नीखरा, मिश्रा सौरभ, नवीन शर्मा, वंशजा शुक्ला, मुकुल सिंह, अनिल के. झा,ख्वायरकपम नोबिन सिंह, अरुणा माथुर, यूसुफ, अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी बालसुब्रमण्यम, के.वी. जगदीशवरन, जी. इंदिरा, अभिषेक आत्रेय, आशुतोष क्र. शर्मा, बबीता त्यागी, हेमन्तिका वाही, प्रीति भारद्वाज, अनिप सच्ते, मोहित पॉल, के.जे. जॉन एंड कंपनी, नीरू वैद, अजय पाल, गोपाल सिंह, कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, शिबाशीष मिश्रा, मिलिंद कुमार, पी.वी. योगेश्वरन, संजय आर. हेगड़े, बी.एस. बांठिया, अणुव्रत शर्मा, टी.वी. जॉर्ज, जी. प्रकाश, नरेश के. शर्मा, कामिनी जायवाल, टी. हरीश कुमार, डी. भारती रेड्डी, अनिरुद्ध पी. माई, बालाजी श्रीनिवासन, ए. सुभाषिनी, देबासिस मिश्रा को उपस्थित होने के लिए पार्टियाँ.

<u>न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:</u>

<u>न्यायमूर्ति रंजन गोगोई -</u>

1. संविधान के भाग-3 के अंतर्गत दत्तक के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना, उक्त लोकहित विचारयुक्त व्यक्तियों द्वारा रचित दृष्टिकोण है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार इस न्यायालय का रूख किया है। वैकल्पिक प्रार्थना करते हुये न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह धर्म, जाति, पंथ के निरपेक्ष, व्यक्तियों के द्वारा बालकों के दत्तक ग्रहण के लिये वैकल्पिक दिशा-निर्देश जारी करे और साथ ही प्रत्यर्थी भारत संघ को एक वैकल्पिक कानून बनाने के लिये निर्देशित करे जिसका केन्द्र बिन्दु बालक हो और धर्म आदि जैसे विचार पीछे रह जाते हो।

2. रिट याचिका में की गई उपरोक्त वैकल्पिक प्रार्थना, **लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ**[1] में दिये गये न्यायिक विनिश्चय से धीरे-धीरे प्रभावित होकर विधि के क्षेत्र में हुई प्रगति से सारतः फलीभूत हुई

1 (1984) 2 एससीसी 244

है तथा किशोर न्याय (बालों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा वर्ष 2006 में संधोधित (जिसे अत्र पश्चात् संक्षेप में जे.जे. एक्ट 2000) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के वर्ष 2007 में प्रख्यापित किये गये नियम (जिसे अत्र पश्चात संक्षेप में जे.जे. नियम वर्ष 2007) के रूप में किये गये विधायी नवाचार इसके पारिणामिक नहीं यद्यपि पूरक है।

3. रिट याचिका में की गई वैकल्पिक प्रार्थना पर प्रारंभ में ही सुविधाजनक रीति से विचार किया जा सकता है।

लक्ष्मीकांत पांडे (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून के विकास में एक उचित स्थान रखता है। अंर्तदेशीय दत्तक ग्रहणों से निपटने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा बालको के हितों की सुरक्षा और उनमें अग्रेत्तर वृद्धि के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये थे। एक नियामक निकाय अर्थात् केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी (सी.ए.आर.ए.) के निर्माण के लिये अनुशंसा की गई और तदानुसार वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा उक्त एजेंसी स्थापित की गई। तब से उक्त निकाय द्वारा सारभूत एवं प्रक्रियात्मक, दोनों मापदंड निर्धारित कर अंतर्देशी और देश के अंदर के दत्तक ग्रहण के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कथित मानदण्डों को केन्द्र सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 33 (2) के अधीन अधिसूचित किये जाने के बाद वैधानिक मान्यता मिली है और आज वह पूरे देश में लागू है, जिन्हें कई राज्यों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 68 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुये बनाये गये नियमों के अंतर्गत अंगीकार एवं अधिसूचित भी किया गया है।

4. अब संबंधित क्षेत्र में हुये वैधानिक विकास की एक संक्षिप्त रूपरेखा को रेखांकित किया जाना है।

वर्तमान में प्रवृत्त आज की तिथि में प्रवृत्त किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत किशोर न्याय अधियिम, 1986 केवल "उपेक्षित" और "अपचारी किशोरों" से संबंधित

थे और उपेक्षित किशोरों से अभिप्रेत वह किशोर थे, जो किशोर गृह में अभिरक्षा में थे या ऐसे किशोर थे, जिसे माता-पिता, अभिभावक या अन्य व्यक्ति जो किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा तय की गयी निगरानी अवधि के दौरान उसके अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिये इच्छुक था, की देखभाल में रखा गया था। किशोर न्याय अधिनियम 2000 ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक के लिये **'पुर्नवास और सामाजिक पुनः एकीकरण'** के शीर्षक के अधीन एक पृथक अध्याय-अध्याय प्ट प्रस्तुत किया। इस तरह के पुर्नवास और सामाजिक पुनः एकीकरण को वैकल्पिक रूप से दत्तक ग्रहण अथवा धात्रेय देखरेख अथवा दायित्व प्रायोजन द्वारा अथवा बालकों को किसी पश्चातवर्ती संगठन में भेजकर किया और सामाजिक पुनः एकीकरण' के शीर्षक के अधीन एक पृथक अध्याय-अध्याय प्ट प्रस्तुत किया। इस तरह के पुर्नवास और सामाजिक पुनः एकीकरण को वैकल्पिक रूप से दत्तक ग्रहण अथवा धात्रेय देखरेख अथवा दायित्व प्रायोजन द्वारा अथवा बालकों को किसी पश्चातवर्ती संगठन में भेजकर किया जाना था। यद्यपि धारा-41 दत्तक ग्रहण अनुध्यात करती है किन्तु यह भी स्पष्ट करती है कि एक बालक की देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके निकटतम परिवार की होती है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा-42, 43 एवं 44 पुर्नवास के वैकल्पिक तरीकों से अर्थात् पालन-पोषण, धात्रेय देखरेख, प्रायोजन के एवं पश्चातवर्ती देखरेख संगठन द्वारा देखभाल किये जाने से संबंधित है।

5. यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम 2000 में गोद लेने को परिभाषित नहीं किया था एवं केवल 2006 के संशोधन द्वारा ही इसका अर्थ व्यक्त किया गया था जो निम्नानुसार है-

"2 (aa) - "दत्तक ग्रहण" का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गोद लिया हुआ बालक अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से पृथक हो जाता है एवं सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों के साथ जो उस रिश्ते से जुडे है, अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की वैध संतान बन जाता है।

6. वास्तव में, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा-41 में वर्ष 2006 में सारभूत संशोधन किया गया था और प्रथम बार दत्तक ग्रहण में देने का दायित्व न्यायालय पर (जिसे किशोर न्याय नियम 2007 द्वारा परिभाषित किया गया था) जिसका तात्पर्य था कि दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तथा शहरी सिविल न्यायालय सम्मिलित है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 41 की उपधारा में सारवान परिवर्तन किये गये। एक संस्था के रूप में CARA को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुयी और उसके द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किये गये और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। (धारा-41(3))

7. किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा-68 द्वारा निहित नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुये किशोर न्याय नियम 2007 अधिनियमित किये गये। उक्त नियम का पांचवा अध्याय **पुर्नवास और सामाजिक पुनः एकीकरण** से संबंधित है। नियम 33 (2) के अधीन CARA द्वारा जारी दिशा निर्देश जो केन्द्र सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा-41(3) के तहत अधिसूचित किये हैं, सभी दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों पर लागू किये गये। किशोर न्याय नियम 2007 के अनुसरण में और किशोर न्याय अधिनियम 2000 द्वारा निहित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिकांश राज्यों में इसका अनुसरण किया है और CARA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अपनाते हुये संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर दत्तक ग्रहण के मामले में लागू किया गया है।

किशोर न्याय नियम 2007 के नियम 33(3) और 33(4) में दत्तक ग्रहण के पूर्व की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विस्तृत प्रावधान शामिल है अर्थात् बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिये स्वतंत्र घोषित करना है। नियमों में ऐसे बालकों की धात्रेय देखरेख (दत्तक ग्रहण से पूर्व धात्रेय देखरेख सहित) जिन्हें दत्तक में नहीं दिया जा सकता है, के लिये प्रावधान शामिल है एवं धात्रेय देखरेख, उत्तरदायित्व प्रायोजन के लिये और पश्चातवर्ती देखभाल संगठन दवारा देखरेख के लिये परिवार

के चयन के लिये भी मानदंड निर्धारित किये गये हैं। जो भी नियम प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें वर्ष 2011 के CARA के दिशा निर्देश द्वारा पूरक किया गया है, जो दत्तक ग्रहण के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही एवं दत्तक ग्रहण के डेटा के रख-रखाव के लिये अतिरिक्त उपाय प्रदान करते हैं।

8. अब भारत संघ के रुख पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। 15 मई 2006 को संघ ने अपने जवाबी हलफनामे में न्यायालय को सूचित किया था कि भावी माता पिता, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बालकों के दत्तक ग्रहण के लिये अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने के लिये स्वतंत्र हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (यहां प्रतिवादी संख्या 3) के माध्यम से भारत संघ द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गयी जमीनी प्रगति पर भी इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है। संघ ने न्यायालय के समक्ष अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैलेंडर वर्ष 2013 के अंत तक देश के कुल 619 जिलों में बाल कल्याण समितियां (सी.डब्ल्यू.सी.) वर्तमान में कार्य कर रही है, जबकि 26 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (एस.ए. आर.ए.) की स्थापना की गयी है, 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दत्तक ग्रहण अनुशंसा समितियों (एआरसी) का गठन किया गया है, जबकि देश में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण संगठनों की संख्या 395 है। संघ के अनुसार जनवरी 2013 से सितम्बर 2013 तक देश में दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट की गयी संख्या 10884 थी जिनमें से 1712 मामले अंतर देशीय दत्तक ग्रहण के हैं। तीसरे प्रतिवादी ने न्यायालय का ध्यान इरा और भी आकर्षित किया है कि 2011 के दिशा-निर्देशों के साथ साथ जे. जे. नियम 2007 में निर्दिष्ट समय-सारणी के बावजूद भी बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) दत्तक ग्रहण अनुशंसा समितियों (एआरसी) के साथ-साथ संबंधित न्यायालयों में भी दत्तक ग्रहण के मामलों की प्रगति में अनुचित विलंब हो रहा है।

9. उपरोक्त घटनाक्रम के आलोक में याचिकाकर्ता ने अपने लिखित निवेदन में स्वीकार किया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2001 धर्म निरपेक्ष कानून है, जो किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी

धर्म का हो, गोद लेने में सक्षम बनाता है। यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के समान है, जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उस अधिनियम के तहत विवाह करने में सक्षम बनाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। यह अभिकथित किया गया है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम 2001 सक्षम वैकल्पिक लिंग न्यायपूर्ण कानून है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों में यह भी कहा गया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधिनियमन और संशोधित अधिनियम 2006 को दृष्टिगत रखते हुये याचिका में दिशा निर्देशों से संबंधित प्रार्थना की गयी है कि व्यक्तियों द्वारा बालकों के गोद लेने को सक्षम एवं सुविधाजनक बनाया जावें चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, पंथ इत्यादि के हों। संतोषजनक उत्तर दिया गया और इस न्यायालय द्वारा सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन प्राधिकारी को धारा 41 के प्रावधानों का पालन कराये जाने हेतु एवं अधिसूचित CARA के दिशा निर्देशों के अनुसरण हेतु एक निर्देश जारी किया गया।

10. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसे वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गयी है, उसने विस्तृत लिखित प्रस्तुतिकरण पेश किया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन दत्तक ग्रहण केवल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के लिये विचार किये जाने वाले तरीकों में से एक है और उक्त धारा 41 स्पष्ट रूप से पालन पोषण, देखभाल को परित्यक/समर्पित बच्चे की देखभाल को अन्य वैकल्पिक तरीकों के रूप में मान्यता देती है। यह तर्क लिया गया है कि इस्लामिक कानून दत्तक के रूप में लिये गये बालकों को जैविक संतान के बराबर नहीं समझता है। बोर्ड के अनुसार इस्लामिक कानून "कफाला प्रणाली" के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत बालक को एक 'कफिल' के तहत रखा जाता है, जो वित्तीय सहायता सहित बालक की देखभाल करता है और इस प्रकार कानूनी रूप से बालक की देखभाल करने की अनुमति दी जाती है। हांलाकि बालक अपने जैविक माता पिता का ना कि गोद लेने वाले माता पिता का मूल वंशज रहता है। बोर्ड का तर्क है कि कफाला प्रणाली जिसे अनुच्छेद 20 (3) के तहत संयुक्त

राष्ट्र के बाल अधिकारो के सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 दवारा अभिप्रेत बालक देखभाल की वैकल्पिक प्रणाली में से एक है और सभी बाल कल्याण समिति को एक निर्देश जारी किया जाना चाहिये कि वह किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा-41(5) के अंतर्गत मुस्लिम बालक को गोद लेने के लिये उपलब्ध घोषित करने से पूर्व इस्लामिक विधि के दिशा निर्देशों को अपने ध्यान में रखे और उनका पालन करें।

11. संशोधित न्याय किशोर अधिनियम 2000 एक सक्षम कानून है, जो एक भावी माता पिता को अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया, नियमों और CARA के दिशा निर्देशों जो अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किये गये हैं, उनका पालन करते हुये एक योग्य बालक के दत्तक ग्रहण का विकल्प देता है। अधिनियम किसी भी भावी माता-पिता के द्वारा किसी भी बाध्यकारी कार्यवाही को अनिवार्य नहीं करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के तहत प्रावधानों तक पहुंचने की स्वतंत्रता मिलती है यदि वह ऐसा चाहता है। ऐसा व्यक्ति, दत्तक ग्रहण के लिये हमेशा स्वतंत्र है अथवा ऐसा न करने के स्थान पर वह उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून का पालन करने के लिये भी स्वतंत्र है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक छोटा कदम है। मान्यताओं और आस्थाओं का हांलाकि सम्मान किया जाना चाहिये लेकिन लागू कानूनों के प्रावधानों के संचालन को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। पुनः दोहराते हुये यह कहना चाहूंगा कि ऐसा वैकल्पिक विधान जिसमे अपरिहार्य अनिवायर्ता शामिल नहीं है, उसका व्यक्तिगत कानून के सिद्धांतों द्वारा मजाक नहीं बनाया जा सकता है और वह उन लोगों पर तब तक लागू रहेगा , जो स्वंय को समर्पित करना चाहता है, जब तक की एक सामान्य नगरिक संहिता की दृष्टि प्राप्त न कर लिया जाए । ऐसा केवल पीढ़ियों के सामूहिक निर्णय के दवारा ही संभव है ताकि परस्पर विरोधी अस्थाओं और विश्वास को खत्म किया जा सकै जो आज भी सक्रिय है।

12. रिट याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की भी प्रार्थना की है कि दत्तक लिये आने वाले बालक एवं भाती माता-पिता के दत्तक ग्रहण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक

अधिकार घोषित किया जाये। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने बॉम्बे और केरल उच्च न्यायालयों द्वारा क्रमशः **इन रि मैनुअल थियोडार डिसूजा'**[2] एवं **फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन विरुद्ध वाई. जे. गॉसाल्विस और अन्य**[3]' में अपलाये गये दृष्टिकोण पर निर्भरता प्रकट की है। बोर्ड इस तरह की घोषणा पर इस आधार पर आपत्ति व्यक्त करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देता है, हालांकि यह निःसंतान दंपत्ति को भौतिक एवं भावनात्मक समर्थन के साथ बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करने से प्रतिषिद्ध नहीं करता है।

13. भले ही याचिकाकर्ता की ओर से मुददे पर गंभीर और सारवान प्रश्न नहीं किये गये, बोर्ड द्वारा अपने समर्थन में पवित्र लिपियों सहित प्रचुर साहित्य न्यायालय के समक्ष रखा गया। संविधान के भाग 3 में सन्निहित मूल अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के मूलभूत मानव अधिकारो का एवं ऐसे अन्य अधिकारों जो नागरिकों की गरिमा और कल्याण के लिये आधारभूत है, का गठन करते है। हालांकि यह सही है कि मौलिक अधिकारों के अर्थ तथा अंर्तवस्तु के आयाम एवं परिप्रेक्ष्य निरंतर विकास की प्रक्रिया में है, जैसा कि एक जीवंत लोकतंत्र में होना तय है जहां मन हमेशा स्वतंत्र होता है, हमारे विचार में, दत्तक ग्रहण के अथवा दत्तक में जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिये, इस क्षेत्र में देश में प्रचलित प्रथाओं और आस्थाओं के परस्पर विरोधी विचार प्रक्रियाओं के समाप्त होने की प्रतिक्षा करनी होगी। विधायिका जो इस मुददे पर एकजुट होकर सोचने के लिये सम्पूर्ण नागरिक की मानसिक तैयारी को समझने के लिये बेहतर ढंग से सुज्जित है, उसने किशोर न्याय अधिनियम के अधिसूचना द्वारा वर्तमान के लिये अपना विचार व्यक्त किया और उसे उचित सम्मान मिलना चाहिये। आज की तारीख में इस विषय पर विभिन्न समूदायों के बीच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण संवधिान के अनुच्छेद 44 अर्थात् समान नागरिक संहिता द्वारा विचार किये जाने योग्य है। समान नागरिक संहिता एक लक्ष्य है, जिस तक पहुंचना शेष है और न्यायालय को संयम बनाये रखने की आवश्यकता में, उसके द्वारा पूर्व में व्यक्त की गयी चिंता की याद दिला दी गयी है। उपरोक्त समस्त स्थितियां हमें यह मत देने के लिये

---

2 (2000) 3 बोमसआर 244

3 एआईआर 1999 केरल 187

बाध्य करती है कि वर्तमान में यह एक उपयुक्त समय और चरण नहीं है, जहां दत्तक ग्रहण के अधिकार एवं दत्तक में जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाये एवं ऐसे अधिकार अनुच्छेद 21 में समाविष्ट किया जा सकें। इस संबंध में हम यह मत देना चाहेंगे कि **मैनुअल थियोडोर डिसूजा** (उपरोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय और **फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन** (उपरोक्त) में केरल उच्च न्यायालय के फैसलों का संबंधित मामले के तथ्यों में सर्वोतम रीति से प्रस्तुत किया गया समझा जा सकता है। जबकि प्रमुख प्रश्न अर्थात् मौलिक अधिकार केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः विवाद्यक विषय नहीं था, **मैनुअल थियोडोर डिसूजा** (उपरोक्त) में दत्तक ग्रहण का अधिकार उन पक्षकारों पर लागू ईसाई धर्मविधान के अनुरूप था जो कि ईसाई धर्म में आस्था रखते थे। हमें शायद ही न्यायिक संयम के सुस्थापित सिद्धांतों को दोहराने की आवश्यकता है, जिसके मूल सिद्धांत के अनुसार न्यायालय को संवैधानिक व्याख्या के मुद्दों से सरोकार की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऐसा करना अपरिहार्य न हो।

14. परिणामतः यह रिट याचिका उपरोक्त दिये गये निर्देशों एवं मत अनुसार निस्तारित की जाती है।

डी .जी.

रिट याचिका का निपटारा